etc. facilities. The response from the State Government have been very positive.

Action Plan by FICCI to Boost Exports

*199. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has prepared an action plan to boost exports;

(b) if so, whether the FICCI has urged Government to adopt the action plan;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the steps Government propose to take to boost exports?

THE MINISTER OF STATE THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir. It has come to the notice of Government that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry have prepared an Action Plan to boost exports whereby the country would account for at least, one percent of the world trade by the turn of the century.

(b) Ministry of Commerce have formulated Annual Action Plan, 1995-96 which, inter alia, covers commodity-specific, and country-specific measures to boost exports.

(c) Government always welcomes suggestions for export promotion from trade and industry including those from FICCI.

(d) Export promotion is a continuous process. Steps are taken to boost exports in consultation with the trade, industry and other relevant interests. The Government is striving to make the environment of policies and procedures more export-friendly. Among the measures taken for export promotion mention may be made about simplification of Export-Import Policy and Procedure, increasing export production, improving efficiency and competitiveness, focussing on quality improvement and technological upgradation, improvement in infrastructure and actively involving State Governments in export promotion.

सड़क और रेल मार्गों द्वारा कोयले की ढुलाई

*200 **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले की ढुलाई के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में सड़क और रेल मार्गों से कितने प्रतिशत कोयले की ढुलाई की गई है;

(ग) क्या कोयले की ढुलाई की वर्तमान प्रणाली में भारी कमियां होने के कारण कोयले की चोरी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की चोरी की कितनी घटनाएं प्रकाश में लाई गई है और इन वर्षों के दौरान देश में कोयले की ढुलाई की प्रणाली में सरकार द्वारा क्या सुधार किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० से कोयले की रेल, सड़क तथा अन्य साधनों से दिए गए प्रेषण की प्रतिशतता के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:—

द्वारा प्रेषण की प्रतिशतता

वर्ष	रेल	सड़क	अन्य साधन
1994-95	56%	19%	25%
1993-94	56%	19%	25%
1992-93	57%	20%	23%

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति एफ०आर०आर० आधार पर की जाती है। कोयले का स्वामित्व खरीददार के वाहन के अंदर अर्थात् वैगन अथवा ट्रक में कोयले के लदान की कार्रवाई पूरी हो जाने के साथ ही परिवर्तित हो जाता है। रेलवे तथा सड़क ट्रांसपोर्टर्स खरीददारों की ओर से वाहन के रूप में कार्यरत है। अतः कोयला कंपनियों के पास रास्ते में कोयले की होने वाली उठाईगिरी (चोरी) के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।